प्रकाशन हेतु अनुमोदित

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सी)संख्या – **208/2008**

याचिकाकर्ता : छत्तीसगढ़ पान मसाला व्यापारी संघ, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी, जिसका कार्यालय 204, द्वितीय तल लाल गंगा मेंशन एम.जी. रोड रायपुर (छ.ग.) में है।

द्वारा श्री सुरेश अग्रवाल पिता स्वर्गीय शंकर लाल अग्रवाल उम्र 50 वर्ष, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पान मसाला व्यापार संघ, निवासी अनुपम नगर, आर/7, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.) ।

विरुद्ध

उत्तरदातागण :
1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव खाद्य एवं औषधि मंत्रालय डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़, पुराना नर्सेज छात्रावास परिसर, मंत्रालय के पास, रायपुर
3. भारत संघ द्वारा सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार पृच्छा परमादेश और अन्य उपयुक्त रिट(एस), आदेश या निर्देशों की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए रिट याचिका:

उपर्युक्त याचिकाकर्ता अत्यंत सम्मानपूर्वक निम्नलिखित निवेदन करता है:-

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सी)संख्या – **207/2008**

याचिकाकर्ता : के.पी. सुगंध लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरदातागण : छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सी)<u>संख्या – **208/2008**</u>

याचिकाकर्ता : छत्तीसगढ़ पान मसाला व्यापारी संघ

विरुद्ध

उत्तरदातागण : छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

आदेश हेतु विचारार्थ

सही/-

श्री धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

माननीय श्री राजीव गुप्ता मुख्य न्यायाधीश
मैं सहमत हूं।

सही/-

आदेश के लिए दिनांक 28-02-2008 को नियत करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

<u>माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)</u>

रिट याचिका (सी)<u>संख्या – **207/2008**</u>

याचिकाकर्ता : के.पी. सुगंध लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित एक लिमिटेड कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय और कार्यस्थल प्लॉट नंबर 75-76 सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर में है।

द्वारा, निदेशक प्रमोद जैन, पिता श्री मनमल जैन, उम्र 44 वर्ष, निवासी ई-

404, साईं परिसर, बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरदातागण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव खाद्य एवं औषधि मंत्रालय डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)

2. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़, पुराना नर्सेज छात्रावास

परिसर, मंत्रालय के पास, रायपुर

3. भारत संघ, द्वारा सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

<u>माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)</u>

रिट याचिका (सी)<u>संख्या – **208/2008**</u>

याचिकाकर्ता : छत्तीसगढ़ पान मसाला व्यापारी संघ, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है, जिसका कार्यालय 204, द्वितीय तल लाल गंगा मेंशन एम.जी. रोड रायपुर (छ.ग.) ।

द्वारा–श्री सुरेश अग्रवाल पिता स्वर्गीय शंकर लाल अग्रवाल उम्र 50 वर्ष, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पान मसाला व्यापार संघ, निवासी अनुपम नगर, आर/7, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.) ।

विरुद्ध

उत्तरदातागण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव खाद्य एवं औषधि मंत्रालय डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)

2. नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ पुराना नर्सेज छात्रावास परिसर, मंत्रालय के पास, रायपुर

3. भारत संघ द्वारा सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

युगल पीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता मुख्य न्यायाधीश
और माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा न्यायाधीश

<u>उपस्थित</u>:

श्री मनिंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री नलिन तलवार, श्री संजय अग्रवाल, श्री आशीष श्रीवास्तव और श्री अमृतो दास, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रिट याचिका क्रमांक 207/2008 में

श्री पराग कोटेचा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रिट याचिका क्रमांक 208/2008

श्री प्रशांत मिश्रा, महाधिवक्ता तथा श्री यशवंत सिंह ठाकुर, उप महाधिवक्ता, राज्य/प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 की ओर से

श्री मनीष शर्मा, प्रतिवादी क्रमांक 3 के स्थायी अधिवक्ता

निर्णय

(दिनांक **28-02-2008** को पारित किया**)**

श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश

1. इन दोनों रिट याचिकाकर्ताओं ने नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण छत्तीसगढ़ द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) जिसे संक्षेप में आगे 1954 का अधिनियम 37 कहा जाएगा) की धारा 7(iv) के तहत प्रदत्त शक्ति के कथित प्रयोग में पारित आदेश दिनांक 31-12-2007 की वैधता, शुद्धता और संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया है। चूंकि ये दोनों याचिकाओं में विधि के एक ही प्रश्न को उठाया गया है और इसलिए उन्हें एक ही आदेश द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

2. रिट याचिका क्रमांक 207/2008 में याचिकाकर्ता एक लिमिटेड कंपनी है। यह पान मसाला और गुटखा बनाती है, जो तंबाकू के साथ मिश्रित चबाने योग्य पान मसाला है। खाद्य एवं औषधि विभाग के उप निदेशक, जो अधिनियम 1954 के 37 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी हैं, ने अनुलग्नक पी-3 दिनांक 13-02-2007 के आदेश द्वारा उत्पाद के विनिर्माण, भंडारण और वितरण के लिए लाइसेंस प्रदान किया था, जबकि रिट याचिका क्रमांक 208/2008 में याचिकाकर्ता, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसायटी है और छत्तीसगढ़ राज्य तथा अन्य राज्यों में निर्मित तंबाकू युक्त पान मसाला अर्थात गुटखा के विभिन्न ब्रांडों के व्यापार में संलग्न है। प्रतिवादी क्रमांक 2, जो अधिनियम 37, 1954 के प्रावधान के तहत गठित एक प्राधिकरण है, ने अधिनियम 37, 1954 की धारा 7, भाग (iv) के तहत प्रदत्त शक्ति के कथित प्रयोग में, 1 जनवरी, 2008 से पांच साल की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में तम्बाकू मिश्रित गुटका की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो और आगे निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, बिक्री, निर्माण या भंडारण के प्रयोजनों के लिए, तम्बाकू मिश्रित गुटका की बिक्री या वितरण नहीं करेगा, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो।

3. अधिसूचना को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए आधार निम्नानुसार हैं:-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(i) 1954 के अधिनियम 37 की धारा 7 (iv) राज्य प्राधिकरण के लिए शक्ति का स्वतंत्र स्रोत नहीं है और राज्य खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

(ii) 1955 के केन्द्रीय नियम या 1962 के राज्य नियम, द्वितीय प्रतिवादी को तंबाकू सहित गुटखा के विनिर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करने के लिए कोई वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं करते हैं और इसका प्रयोग केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा 1954 के अधिनियम 37 की धारा 23 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जा सकता है।

(iii) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन अधिनियम, 2003 (2003 का 34) (संक्षेप में, इसके बाद 2003 का अधिनियम 34 कहा जाएगा) विशेष अधिनियम होने के कारण और बाद में उत्पन्न होने के कारण, अधिनियम की धारा 7 (iv) के प्रावधानों पर अधिभावी है। 1954 का 37, तम्बाकू उत्पाद की बिक्री या विनिर्माण को प्रतिबंधित करने की शक्ति के संबंध में है, जो 2003 के अधिनियम 34 की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्री मनिंद्र श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री नलिन तलवार और श्री पराग कोटेचा, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इन याचिकाओं में शामिल विधिक प्रश्नों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोदावत पान मसाला प्रोडक्ट्स आई.पी. लिमिटेड के मामले में स्पष्ट और स्पष्ट रूप से उत्तर दिया गया है। तथा अन्य - बनाम भारत संघ तथा अन्य, जैसा कि पूर्वोक्त मामले में भी, महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, गोवा राज्य तथा तमिलनाडु राज्य के अधिनियम 37, 1954 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अधिसूचनाओं में पान मसाला (तंबाकू युक्त) तथा चबाने वाले तंबाकू, गुटखा के सभी ब्रांडों, जिसमें किसी भी रूप में तंबाकू या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कोई अन्य सामग्री हो, चाहे किसी भी नाम या विवरण के अंतर्गत हो, की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था, को चुनौती दी गई थी तथा सभी अधिसूचनाओं को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिनियम के विपरीत होने तथा इसलिए विधि की दृष्टि से खराब होने के कारण अभिखण्डित कर दिया गया था तथा वे असंवैधानिक तथा शून्य थे तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 19 के अंतर्गत अपीलकर्ताओं के गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का हनन करते थे। यह भी तर्क दिया गया कि महाराष्ट्र खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1962 के नियम 3 और गोवा, दमन और दीव खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1982 उन राज्यों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को शक्तियां और कर्तव्य प्रदान करते हैं और उपरोक्त नियमों के नियम (6)(क) और (6)(ख) खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को यह शक्ति प्रदान करते हैं कि किसी संक्रामक रोग के फैलने की स्थिति में वह ऐसे

उपाय कर सकता है, जो वह ऐसे संक्रामक रोग के फैलने या उसके प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक समझे। उपरोक्त नियम पर आधारित तर्क को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित करते हुए खारिज कर दिया कि नियमों के तहत खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण की शक्ति केवल क्षणिक प्रकृति की है और स्थानीय आपात स्थितियों से निपटने के लिए है और जब तक ऐसी आपात स्थिति रहती है, यह केवल थोड़े समय के लिए ही रह सकती है। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को छत्तीसगढ़ खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1962 के तहत ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

5. इसके विपरीत,विद्वान महाधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा और विद्वान उप महाधिवक्ता श्री यशवंत सिंह ठाकुर ने याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना का जोरदार विरोध करते हुए तर्क दिया कि आक्षेपित अधिसूचना 1954 के अधिनियम 37 की धारा 7(iv) के तहत जारी की गई थी, जिसका प्रशंसनीय उद्देश्य तंबाकू युक्त गुटखा के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाना था क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्कूल जाने वाले बच्चे और कॉलेज के छात्र आसानी से तंबाकू युक्त गुटखा के सेवन का शिकार बन रहे हैं और इस प्रकार वे हानिकारक खाद्य पदार्थों के आदी बन रहे हैं। खोदाव डिस्टिलरीज लिमिटेड और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया कि "किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को चलाने का अधिकार किसी ऐसे पेशे को करने या किसी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को चलाने तक विस्तारित नहीं होता है जो स्वाभाविक रूप से दुष्परिणामकारी और हानिकारक है और जिसकी सभी सभ्य समाजों द्वारा निंदा की जाती है। यह नागरिकों को अनैतिक और आपराधिक गतिविधियों में व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार नहीं देता है और ऐसी वस्तुओं या सामानों में व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार नहीं देता है जो आम जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए अप्रिय और हानिकारक हैं यानी वाणिज्य के बाहर व्यापार नहीं किया जा सकता है। अपराध में व्यापार नहीं किया जा सकता है। गुडावत पान मसाला में निर्णय की कंडिका 24 का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया कि खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को तत्काल कदम उठाने और संबंधित हानिकारक वस्तुओं के निर्माण, बिक्री, भंडारण, वितरण पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में कोई भी उचित कदम उठाने का अधिकार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना ।

7. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को समझने के लिए अधिनियम के सुसंगत प्रावधान का संदर्भ आवश्यक है, 1954 के अधिनियम 37 की धारा 7 इस प्रकार है : -

"7 कुछ खाद्य पदार्थों के निर्माण, बिक्री आदि पर प्रतिबंध कोई भी व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिक्री के लिए निर्माण या भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा –

(i) कोई भी मिलावटी खाद्य पदार्थ;

(ii) कोई भी गलत ब्रांड वाला खाद्य पदार्थ;

(iii) कोई खाद्य पदार्थ जिसके विक्रय के लिए लाइसेंस निर्धारित है, लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ही;

(iv) कोई खाद्य पदार्थ जिसकी बिक्री लोक स्वास्थ्य के हित में खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण द्वारा फिलहाल प्रतिबंधित है;

(v) कोई खाद्य पदार्थ जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता हो; या

(vi) कोई मिलावट।

8. छत्तीसगढ़ राज्य ने छत्तीसगढ़ खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1962 बनाए हैं, उपरोक्त नियमों के नियम 3 और 4 खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण और उसकी शक्तियों और कर्तव्यों तथा स्थानीय प्राधिकरण की शक्तियों से संबंधित हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

"3. खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य.-(1) स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक, मध्य प्रदेश (मध्य प्रदेश राज्य में स्वास्थ्य प्रशासन के प्रभारी मुख्य अधिकारी होने के नाते) खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण (जिसे इसके बाद 'प्राधिकरण' कहा जाएगा) होगा।

(2) प्राधिकरण अधिनियम के प्रशासन और प्रवर्तन के सामान्य अधीक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।

(3) प्राधिकरण अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुरक्षित लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं तथा अधिनियम के अधीन नियुक्त लोक विश्लेषकों और खाद्य निरीक्षकों पर नियंत्रण रखेगा।

(4) प्राधिकरण किसी स्थानीय प्राधिकरण को ऐसे सभी निर्देश दे सकेगा, जिन्हें वह अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन से संबंधित किसी मामले के संबंध में आवश्यक समझे और स्थानीय प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(5) प्राधिकरण, जब कभी ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, अधिनियम के प्रशासन और प्रवर्तन से संबंधित मामलों में, यथास्थिति, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को सलाह देगा।

4. स्थानीय प्राधिकरण की शक्तियां और कर्तव्य.-(1) नियम 3 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, स्थानीय प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अधिनियम के उचित दिन-प्रतिदिन के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(2) स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक स्वास्थ्य अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जिनका क्षेत्राधिकार उसके द्वारा निर्दिष्ट पूरे क्षेत्र या उसके किसी भाग पर होगा।

(3) स्थानीय प्राधिकरण, अधिनियम के प्रयोजन के लिए खाद्य निरीक्षकों के रूप में, केन्द्रीय नियमों के अधीन विहित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को, उतनी संख्या में नियुक्त कर सकेगा, जितने वह ठीक समझे। वे ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो प्राधिकरण के अनुमोदन से उन्हें समनुदेशित किए जाएं।

(4) स्थानीय प्राधिकरण, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए अधिकारिता के भीतर लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जिन्हें वह उचित समझे।

9. 2003 के अधिनियम 34 की प्रस्तावना इस प्रकार है-

"सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध करने, व्यापार और वाणिज्य के विनियमन तथा उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अधिनियम 34/2003 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण निम्नानुसार है:

"उद्देश्यों और कारणों का कथन.-तम्बाकू को सार्वभौमिक रूप से प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक माना जाता है और यह देश में लगभग दस लाख मौतों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। यह भी पाया गया है कि तंबाकू से संबंधित बीमारियों के उपचार और उनके कारण होने वाली उत्पादकता की हानि से देश को प्रतिवर्ष लगभग 13,500 करोड़ रुपये का नुकसान होता है, जो तंबाकू उद्योग द्वारा उत्पन्न राजस्व और रोजगार के रूप में होने वाले सभी लाभों से कहीं अधिक है। सिगरेट और तंबाकू के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विज्ञापन और विनियमन को प्रतिबंधित करने के लिए एक व्यापक विधि की आवश्यकता है, जिसे उत्पाद अधीनस्थ विधान (दसवीं संसदीय समिति) द्वारा अनुशंसित किया गया है और अधीनस्थ विधान पर समिति द्वारा सुझाए गए कई बिंदुओं को विधेयक में शामिल किया गया है।"

2. प्रस्तावित विधेयक सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रायोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित करने के साथ-साथ खनिकों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव करता है। यह निर्दिष्ट चेतावनी की सामग्री, जिन भाषाओं में उन्हें प्रदर्शित किया जाना है, साथ ही इन उत्पादों में निकोटीन और टार सामग्री की मात्रा को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से नियम बनाने का भी प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित विधि के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, छोटे अपराधों को कम करने और

कंपनियों द्वारा अपराधों के लिए दंड को अधिक कठोर बनाने के प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। प्रस्तावित अधिनियम का उद्देश्य लोगों को तंबाकू के धुएं (निष्क्रिय धूम्रपान) के संपर्क में कम करना और तंबाकू उत्पादों की बिक्री को रोकना है ताकि उन्हें नाबालिगों और भ्रामक विज्ञापनों के शिकार होने से बचाया जा सके। इससे स्वस्थ जीवन शैली और संविधान में निहित जीवन के अधिकार की सुरक्षा होगी।"

3. विधेयक का उद्देश्य पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

11. 2003 के अधिनियम 34 की धारा 2(पी) में तम्बाकू उत्पादों को परिभाषित किया गया है। तम्बाकू उत्पादों से तात्पर्य अनुसूची में निर्दिष्ट उत्पादों से है और धारा 2(पी) के तहत अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 8 में "फन मसाला या कोई भी चबाने वाली सामग्री जिसमें तम्बाकू एक घटक के रूप में हो (चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए)" का उल्लेख है और प्रविष्टि 9 में "गुटखा" का उल्लेख है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. गोदावत मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विस्तार से विचार करने के बाद अंततः यह निष्कर्ष निकाला है कि धारा 7(iv) के अंतर्गत खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के पास कोई भी प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे उसका उपयोग खाद्य के रूप में हो या किसी खाद्य पदार्थ के निर्माण में एक घटक के रूप में। न्यायालय ने यह भी माना है कि आक्षेपित अभिकथन अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है क्योंकि यह अत्यधिक प्रतिबंधात्मक प्रकृति का है। यहाँ तक कि 2003 का नवीनतम अधिनियम संख्या 34 भी नाबालिगों को छोड़कर अनुसूची में सूचीबद्ध तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।

13. गोदावत के मामले में, जैसा कि पहले कंडिका में बताया जा चुका है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्र न यह था कि क्या खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को 1954 के अधिनियम 37 की धारा 7 के तहत स्थायी या अर्ध-स्थायी निषेध का आदेश जारी करने की शक्ति है, जैसा कि उपरोक्त मामले में भी महाराष्ट्र राज्य के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण ने 23 जुलाई, 2002 के आदेश के तहत अगस्त, 2002 से 3 वर्षों की अवधि के लिए तंबाकू युक्त पान मसाला और पान मसाला के निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी तरह की अधिसूचनाएं तमिलनाडु के राज्य खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण द्वारा भी 19 नवंबर, 2001 से 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी की गई थीं, जबकि खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य ने तंबाकू युक्त या तंबाकू रहित गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, महाराष्ट्र राज्य के भीतर निषिद्ध जो 26 जनवरी, 2003 से प्रभाव"शील है। अपीलकर्ताओं

की अपील और अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए, अधिसूचनाओं को विधि की दृष्टि से अनुचित, शून्य और अवैध तथा अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध लागू न करने योग्य मानते हुए अभिखण्डित कर दिया गया तथा इस प्रकार निर्णय दिया गया:-

"33. यह महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 8 के तहत खाद्य निरीक्षक की शक्तियों पर विचार करते समय, अधिनियम में प्रावधान है कि खाद्य निरीक्षक के पास स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के साथ, संबंधित स्थानीय क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले, या खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के साथ, सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में किसी भी वस्तु की बिक्री को प्रतिबंधित करने की शक्ति होगी। इस खंड में यह वाक्यांश शामिल नहीं है "क्योंकि यदि राज्य सरकार के लिए चुने गए अधिकारियों के तर्क प्रबल होते हैं, तो यह प्रावधान खाद्य निरीक्षक, पदानुक्रम में एक निचले प्राधिकारी को, स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने की एक असाधारण शक्ति देगा, जो शक्ति केवल राज्य सरकार के उच्चतम स्तर पर लिए जाने वाले नीतिगत निर्णय का परिणाम हो सकती है। हमारे विचार में, इन खंडों को अलग-अलग या अप्रभावी रूप से व्याख्या करना संभव नहीं है। अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ग) और 8.10 की उपधारा (1) के खंड (ग) तथा उनके अंतर्विरोधों से यह भ्रांति उत्पन्न होती है कि खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण और खाद्य निरीक्षक को प्रदत्त शक्ति, अधिनियम की धारा 8.24 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियमों से व्युत्पन्न होने के कारण, अधिनियम की धारा 8.23 के अधीन बनाए गए नियमों से व्युत्पन्न शक्तियों के अधीन है। अतः न तो खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण और न ही खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के पास ऐसी शक्ति हो सकती है जो केन्द्रीय सरकार को धारा 23(1ए)(एफ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम बनाकर उपलब्ध हो सकती है।

77. विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, हमारा विचार है कि:-

1. अनुच्छेद 7 (iv) राज्य प्राधिकरण के लिए शक्ति का स्वतंत्र स्रोत नहीं है।

2. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की शक्ति का स्रोत केवल राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 24 के तहत शक्ति के प्रयोग में बनाए गए वैध नियमों में ही स्थित है, जो इसके तहत अनुमत सीमा तक है।

3 नियमों के तहत खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण की शक्ति केवल क्षणिक प्रकृति की है और स्थानीय आपात स्थितियों से निपटने के लिए है तथा यह केवल अल्प अवधि तक ही रहती है, ऐसी आपातकालीन स्थितियां समाप्त हो जाती है।

4. किसी खाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ के घटक के रूप में प्रयुक्त किसी वस्तु पर, इस आधार पर कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति समुचित रूप से केन्द्रीय सरकार के पास है, जिसका प्रयोग वह अधिनियम की धारा 23, विशेषकर उपधारा (1ए)(एफ) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कर सकती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. राज्य खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को किसी भी वस्तु के निर्माण, विक्रय, भंडारण, विक्रय या वितरण पर प्रतिबन्ध लगाने की कोई शक्ति नहीं है, चाहे वह वस्तु के रूप में या उसके सहायक के रूप में उपयोग की जाती हो या भोजन के रूप में उपयोग नहीं की जाती हो, परन्तु यह शक्ति केवल संसदीय निर्णय के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती है और संसदीय विधान से या कम से कम केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8.23 के तहत नियम बनाकर शक्तियों के प्रयोग से प्राप्त हो सकती है।

6. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्रावधान, तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माण की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति के संबंध में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7(iv) के प्रावधानों के सीधे विरोध में हैं, जो 2003 के अधिनियम 34 की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।

7. आक्षेपित अधिसूचना अधिनियम के विपरीत है और इसलिए कानून की दृष्टि से गलत है।

8. आक्षेपित अधिसूचनाएं असंवैधानिक और शून्य हैं क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत अपीलकर्ताओं के गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. जहां तक वाणिज्य से बाहर की वस्तु की अवधारणा पर आधारित विद्वान महाधिवक्ता के निवेदन का संबंध है, उपरोक्त तर्क पर उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 53 में भी विचार किया गया है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है :–

"क्या पान मसाला या गुटका (तंबाकू युक्त) या स्वयं तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए स्वाभाविक या अत्यंत खतरनाक माना जाता है, और यदि ऐसा है, तो क्या देश में इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कोई विधायी नीति है? 2003 के अधिनियम 34 के संदर्भ में, उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। इस तर्क को स्वीकार करना कठिन है कि आक्षेपित अधिसूचना द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ को वाणिज्य से बाहर की वस्तु माना जाता है। सबसे पहले, इस देश में तंबाकू से संबंधित अधिनियमित विधियों की श्रृंखला यह नहीं दर्शाती है कि संसद ने इसे कभी भी वाणिज्य से बाहर की वस्तु नहीं माना है, न ही संसद ने इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है।"

तम्बाकू और इसके संबद्ध उत्पादों तथा पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और नियंत्रण करने के लिए विभिन्न विधायी उपायों पर विचार करते हुए, यह निर्णय दिया गया है:-

"यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि वस्तु को स्वयं ही वाणिज्य से बाहर की वस्तु माना गया है। विधायी नीति, यदि कोई हो, तो इसके विपरीत प्रतीत होती है। किसी भी स्थिति में, किसी वस्तु को

वाणिज्य से बाहर की वस्तु के रूप में प्रतिबंधित किया जाना विधायी नीति का मामला है और इसे विधानमंडल के अधिनियम से उत्पन्न होना चाहिए, न कि किसी कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना से।"

15. हमारी सुविचारित राय में, वर्तमान याचिका की विषय-वस्तु, इन याचिकाओं में शामिल तथ्य प्रश्न और विधिक प्रश्न गोदावत मामले में शामिल तथ्यों और प्रश्नों के समान हैं।

16. राज्य के विद्वान अधिवक्ता कोई अन्य ऐसा आधार नहीं बता सके जो तथ्यों या विधि के आधार पर वर्तमान मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय दिए जा चुके उपरोक्त मामले से अलग करता हो।

17. परिणामस्वरूप, गोदावत मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, हम दोनों रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हैं और अधिसूचना को अभिखण्डित करते हैं, जिसे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विधि की दृष्टि से गलत, शून्य, अवैध और अप्रवर्तनीय माना गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. व्यय के संबंध में कोई आदेश दिया जा रहा है।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश

सही/-
श्री धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगाऔर कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Pradeep Kaiwar